

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

आदेश

ज्ञापांक-11/प्रस्वी.5-34/2019...1088.../ रंची, दिनांक 21/04/2022,
प्रस्तावित सहोदय उच्च विद्यालय, शाहपुर, पलामू जो गौजा-शाहपुर, ग्राम
संख्या-230, प्लॉट संख्या-1063, रकबा-2 एकड़ भूमि पर अवस्थित एवं संवर्धित
है, जिन्हें पूर्व में झारखंड अधिविद्य परिषद्, रंची के पत्रांक
JAC/वि0स्था0-19049/12-1871/15 दिनांक-10.06.2015 द्वारा स्थापना
अनुमति दी गई है, को झारखंड अधिविद्य परिषद्, रंची के पत्रांक-1293
दिनांक-27.03.2019 द्वारा की गई अनुशंसा तथा विभागीय अधिसूचना
संख्या-3267 दिनांक-03.12.2015 के आलोक में विभागीय स्तर पर गठित
समिति की बैठक दिनांक-29.03.2022 द्वारा की गई प्रस्वीकृति की अनुशंसा के
आधार पर झारखंड माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं
बंधेज) नियमावली, 2008 में निहित प्रावधानों के अधीन प्रस्वीकृति प्रदान की जाती
है।

2. झारखंड माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं
बंधेज) नियमावली, 2008 में निहित शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में विद्यालय की
प्रस्वीकृति स्वतः रद्द समझी जायेगी।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
झारखंड, रंची।

ज्ञापांक-11/प्रस्वी.5-34/2019...1088.../ रंची, दिनांक 21/04/2022
प्रतिलिपि:- सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड, रंची/अध्यक्ष/सचिव,
झारखंड अधिविद्य परिषद्, रंची/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/क्षेत्रीय
शिक्षा उप निदेशक, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर/जिला शिक्षा पदाधिकारी,
पलामू/सचिव/प्रधानाध्यापक, प्रस्तावित सहोदय उच्च विद्यालय, शाहपुर,
पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
झारखंड, रंची।

ज्ञापांक-11/प्रस्वी.5-34/2019...1088.../ रंची, दिनांक 21/04/2022
प्रतिलिपि:- श्री असीम किस्पोट्टा, उप सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी, स्कूली
शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड, रंची ऑनलाईन सर्विसेज को इस
निदेश के साथ प्रेषित कि इसे विभागीय एवं निदेशालयीय पोर्टल पर
अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
झारखंड, रंची।

उप सचिव
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
झारखंड, रंची।

प्रेषण सं०-

दिनांक-

21-4-22